राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1071/2014/जयपुर.

मैसर्स श्री सुप्रीम पॉलीमर्स प्रा0 लिमिटेड, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स)–तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर.
2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–प्रथम, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोकरणा, उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 29/08/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 86/अ.प्रा.–III/वैट/जयपुर/2013–14/ई में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 12.05.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जॉब वर्क हेतु राज्य के बाहर से आ रहे माल पैकिंग मैटेरियल के साथ परिवहन के समय घोषणा पत्र वैट–47 संलग्न नहीं होने से अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 1,50,000/– आरोपित की गई थी जिसकी पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा की जाने के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

4. उक्त प्रकरण में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त करने योग्य होने का मुख्य आधार यह लिया गया है कि परिवहनित माल PP Woven Sacks एक पैकिंग मैटेरियल है एवं वह माल गुजरात राज्य से केवल प्रिंटिंग कार्य हेतु राजस्थान राज्य में लाया जा रहा था जिसके समस्त दस्तावेज जांच के समय संलग्न थे परन्तु धारा 76(2) के तहत इसके साथ घोषणा पत्र वेट 47 संलग्न होना अनिवार्य मानते हुए इसके अभाव में शास्ति अरोपित की है जब कि पैकिंग

लगातार.....2

मैटेरियल नियम 53 के अधीन जारी अधिसूचना में सम्मिलित नहीं होने से वैट–47 की आवश्यकता नहीं थी। यह विधिक आपत्ति कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के समक्ष पेश करते हुए वैकल्पिक रूप से जवाब के साथ घोषणा प्रपत्र वैट–47 पेश कर दिया था।

5. प्रकरण की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि कर निर्धारण अधिकारी ने माल के परिवहन के दौरान घोषणा पत्र वेट 47 संलग्न नहीं होने के कारण इसे अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन माना है परन्तु इस मूल आपत्ति पर कोई उल्लेख कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश में नहीं किया गया है कि नियम 53 के तहत जारी अधिसूचना संख्या F.12(84)FD/Tax/2009-21 दिनांक 08.07.2009 में PP Woven Sacks जो कि पैकिंग मैटेरियल है, वह अधिसूचित है अथवा नहीं। अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को यह बताया गया था कि प्रविष्टि संख्या 30 में Plastic goods, PVC Granules को ही विहित किया गया है एवं इस प्रविष्ठि में पैकिंग मैटेरियल सम्मिलित नहीं है। यह भी कथन किया कि कर दर हेतु जारी अनुसूची में भी पैकिंग मैटेरियल एवं प्लास्टिक गुड्स की कर दर की अलग अलग प्रविष्टियां हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण में यह निर्णय करना आवश्यक था कि PP Woven Sacks जो निःसंदेह पैकिंग मैटेरियल है उसके लिये घोषणा पत्र वैट–47 क्यों अनिवार्य है, परन्तु इस बिन्दु पर दोनों ही अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा निर्णय नहीं किया गया।

6. प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या यह निर्विवादित है कि परिवहनित माल पैकिंग मैटैरियल था जो उक्त अधिसूचना दिनांक 08.07.2009 में अंकित नहीं है एवं इस बिन्दु पर विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने भी कोई विपरीत तर्क नहीं दिया है। प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत परिवहनित माल नियम 53 में अधिसूचित वस्तु नहीं है एवं अपीलार्थी द्वारा वैट–47 की अनिवार्यता नहीं मानते हुए घोषणा पत्र नहीं दिया गया था, परन्तु नोटिस के बाद विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से विकल्प के रूप में जवाब के साथ घोषणा पत्र वैट–47 कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया था, ऐसी स्थिति में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निम्न निर्णयों के आलोक में शास्ति का आरोपण उचित नहीं है :–

(a) **(2001) 124 एस.टी.सी. 611 (एस.सी.) स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम मैसर्स डी. पी. मैटल्स**

(b) **35 टैक्स अपडेट 49 (राज.) मैसर्स सेरा टैक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, भिवाड़ी;**

लगातार.....3

7. माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स डी.पी.मैटल्स के निर्णयानुसार किसी कारण से घोषणा पत्र संलग्न नहीं किया गया है तो वह सुनवाई के समय प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकरण में यह तथ्य जाहिर है कि अपीलार्थी का परिवहनित माल नियम 53 के तहत अधिसूचित माल ही नहीं था इसलिए घोषणा पत्र संलग्न नहीं था परन्तु इस बिन्दु पर विवाद उत्पन्न होने पर उनके द्वारा जवाब के साथ घोषणा पत्र वेट 47 भी प्रस्तुत कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में एक युक्तियुक्त कारण से घोषणा पत्र संलग्न नहीं होने एवं जवाब के साथ पेश कर देने से माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय **(2001) 124 एस.टी.सी. 611 मैसर्स डी. पी. मैटल्स** के आलोक में कि किसी कारण से घोषणा पत्र नहीं दिया गया है तो उसकी पूर्ति भी सुनवाई के समय की जा सकती है, अपील स्वीकार योग्य है।

8. उक्त विवेचन अनुसार अपीलाधीन कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश अपास्त कर व्यवहारी की अपील स्वीकार कर आरोपित शास्ति रूपये 1,50,000/— अपास्त की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य